5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर ,(म0प्र0)

प्र0 क्र0 ।१६-१७। निगरानी। २०१६ नि.ग. 3608-PBR-16

श्री ... द्वारा आज दि. 17-10-16 प्रस्तुत
17-10-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
290
17-10-16

परिवार एग्रो बिजनिस प्रायवेट लि0 द्वारा डाय0 राकेश सिंह नरवरिया पुत्र श्री चौधरी सिंह नरवरिया नि0 ए- १ सिटी सेन्टर, साईट नम्बर -१ ग्वालियर कृषक ग्राम - खेरिया मोदी तहसील व जिला - ग्वालियर (म0प्र0) --- आवेदक

बनाम

१- म0 प्र0 शासन द्वारा अधिकृत ----
प्रमुख सचिव राजस्व,
बल्लभ भवन भोपाल (म0 प्र0)

२- कार्यालय कलेक्टर जिला - ग्वालियर (म0प्र0)

३- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र मुरार सिटी जिला - ग्वालियर (म0प्र0) --- अनावेदकगण

17/10/2016

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा ५० म0प्र0 भू- राजस्व संहिता १६५६ के तहत विरूद्ध पारित अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी क्षेत्र मुरार सिटी जिला - ग्वालियर द्वारा प्र0 क्र0 ४६।१५-१६।अ-२ , मे पारित अन्तरिम आदेश दिनांक २३-६-२०१६ से व्यथित होकर ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3608–पीबीआर / 2016 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.11.16	आवेदक अधिवक्ता श्री रणवीर सिंह उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति निरस्त की गई है, परन्तु निरस्त करने का कोई कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी को आपत्ति निरस्त करने संबंधी सकारण आदेश पारित करना चाहिये था, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है और अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करें । अध्यक्ष	